हाकम पु. तहसीलदार
दावा सं. 6/14

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म मे
28.7.15	आज पत्रावली राजस्व लोक अदालत-अभियान न्याय आपके द्वार 2015 कैम्प सैंथला कलां में प्रस्तुत हुई। वादी हाकम पुत्र सुभान खाँ जाति मेव निवासी ग्राम सैंथला कलां तह. नगर (भरतपुर) ने प्रति. तहसीलदार नगर के विरुद्ध यह दावा अन्तर्गत धारा 88-89 R.T.Act प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि खि. आ. ख.नं. 158/0.25, 321/0.12, 322/0.12, 323/0.10 वाके सैंथला कलां तह. नगर में वादी का नाम राजस्व कर्मचारियों की गलती से हाकम पुत्र सुभान खाँ के स्थान पर हाकमदीन पुत्र सुब्बन दर्ज हो गया है जबकि वादी का सही नाम हाकम पुत्र सुभान खाँ है। उक्त गलत इन्द्राज से वादी को सख्त हक तलफी है। अंत में निवेदन किया है कि दावा वादी डिक्री फरमाया जाकर विवादित आराजी पर वादी का नाम हाकमदीन पुत्र सुब्बन के स्थान पर संशोधित कर हाकम पुत्र सुभान खाँ दर्ज किया जावे।	
	तहसीलदार नगर ने मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 28.7.15 में अंकित किया है कि जमाबंदी सं. 2067-70 के खाता सं. 161 पर ख.नं. 194, 195, 196, 265, 266, 267, 268, 278, 293, पर हाकम, हाजर, खुशाल पिसरान सुभान खाँ हि. बरा. 1/8 हि. दर्ज रिकार्ड है एवं इसी जमाबंदी के खाता सं. 344 पर ख.नं. 158, 321, 322, 323 पर हाकमदीन, हाजर खाँ, खुशाल खाँ [illegible] ला. टेट वे कि. बरा. खातेदार [illegible] है। प्रार्थी हाकम ने [illegible] परन्तु जमाबंदी [illegible] तमाम जमाबंदी के खाता सं. 344 पर हाकमदीन, हाजर खाँ, खुशाल खाँ पिसरान सुब्बन दर्ज हो जाना गलत है। अतः इन्हीं के स्थान सं. 161 के -	

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.09.05 12:36:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

हाकम vs तहसीलदार
दावा सं. 6/15

5

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	मुताबिक हाकम पि. सुमान खां शुद्ध - किये जाने की अभिशंषा की जाती है। पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व - अभिलेख एवं मौका जांच रिपोर्ट तहसीलदार दि. 28.7.15 के अनुसार वादी का नाम - जमाबंदी सं. 2067-70 के खाता सं. 161 के अनुसार खाता सं. 344 में संशोधन किये जाने योग्य पाया जाता है लिहाजा दावा वादी मुताबिक डिक्री होने योग्य है अतः आदेश है कि — दावा वादी डिक्री किया जाता है। आ.स.नं. $\frac{158}{0.25}$, $\frac{321}{0.12}$, $\frac{322}{0.12}$, $\frac{323}{0.10}$ वाके ग्राम हैंसला कलां तह. नगर में वादी का नाम हाकमदीन पुत्र सुवक्त के स्थान पर हाकम पुत्र सुमान खां दुरुस्त किया जाकर घोषित किया - जाता है। शेष इन्द्राज यथावत रहेंगे। इसी प्रकार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हेमराज पारीक) उपखण्ड अधिकारी नगर [भरतपुर] राज॰	

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.09.05 12:36:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner